... पत्रावली पर पुनः
सुनवाई बाबत यह पत्रावली राज.
लोक अदालत कैम्प कोर्ट सिवाना
में आयोजित दिनांक 23/6/2016 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली

23/6/2016 पत्रावली राजस्व लोक अदालत
कैम्प कोर्ट बिवान्दी में पेश हुई।
पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड
एवं भू.अ.नि. [illegible] की रिपोर्ट
दिनांक 30/5/2016 अनुसार वादी
दलवी [illegible] द्वारा [illegible] के
ख. नं. 806 व 807 में जो धारा 251A
R.T. Act के अन्तर्गत रास्ता चाहा
गया है किन्तु वादग्रस्त आराजी

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली (राज)

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	खसरा नं. 807 का बेचान हो चुका है व नामान्तरकरण भी दर्ज हो चुका है साथ ही खसरा नम्बर 807 से संबंधित राजस्व वाद पाबू बनाम मांगीलाल अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 R.T. Act के तहत वाद विचाराधीन होने से ख.नं. 807 की भूमि वादग्रस्त है। प्रार्थना पत्र में वर्णित अप्रार्थी मांगीलाल वर्तमान में खातेदार नहीं होने से एवं खसरा नम्बर 807 की भूमि वादग्रस्त होने से तथा भू.अ.नि. तखतगढ़ की मौका रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित खसरा नं. 806, 807 के बनिस्पत निकटतम अन्य ख.नं. 28 स्थित ग्रा.पं. मि. ([illegible]) (खोड़ा) में दो खसरा नं. 787 स्थित ग्रा.पं. रास्ता तक उपलब्ध है। अतः प्रार्थी दलवी/लिल का प्रार्थना पत्र बाबत धारा 251 (A) R.T. Act का पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली (राज.)

Scanned by CamScanner